FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

सज्जनकंवर बनाम हरचन्दराम वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 189/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
06-02-2023	प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सार इसप्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण गैरकानूनी तरीके से रास्ता निकालने पर आमादा है। अप्रार्थीगण ने जवाब में बताया है कि उक्त रास्ता आमजन के लिए प्रतिबंधित है किन्तु किसानों व सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के लिए नहर की देखरेख के लिए उक्त भूमि आवागमन में काम ली जाती है। प्रार्थी द्वारा स्थगन की आड़ में नहर की भूमि कब्जे कर रखी है एवं नहर के पास पास आवागमन के लिए उपलब्ध नहर की भूमि में करंट के तार लगाकर व पेड़ पौधे डालकर बुरी तरह अवरुद्ध कर रखा है। इसलिए यह स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें। उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि इस स्थगन की आड़ में प्रार्थी द्वारा आसपास के किसानों व सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को बेजा परेशान कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज व जवाब प्रार्थनापत्र का अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्ते प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तिनीय क्षति को साबित करने में असफल रहा है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि कोई गैरकानूनी तरीके से रास्ता निकाले या अतिक्रमण करें तो इसके लिए कानून मे प्रक्रिया निर्धारित है जिसमें चाराजोही कर वह अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः यह प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 19.01.22 जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	